**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 1329 of 2024**

**IN THE MATTER OF:**

**Abdul Qadir** **......Applicant**

**Versus**

**State of U.P. & Ors.** **......Respondent(s)**

**INDEX**


| S. NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board | 1-6 |
| 2. | **ANNEXURE 1:** A true copy of the inspection report along with the photographs taken during the inspection | 7-11 |
| 3. | **ANNEXURE 2:** A true copy of the letter dated 11.03.2024 sent by UPPCB to the Vice Chairman, Agra Development Authority | 12-14 |
| 4. | **ANNEXURE 3:** A true copy of the letter dated 06.06.2024 sent by Regional Officer, UPPCB, Agra to the District Magistrate, Agra | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | **ANNEXURE 4:**<br>A true copy of the letter dated 17.05.2024 sent by Divisional Commissioner, Agra to the Vice Chairman, Agra Development Authority | 16 |
| 6. | **ANNEXURE 5:**<br>A true copy of the order dated 13.08.2003 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Writ Petition No. 34957/2003 | 17-18 |
| 7. | **ANNEXURE 6:**<br>A true copy of the Government Order dated 05.09.2003 | 19-21 |
| 8. | **ANNEXURE 7:**<br>A true copy of the letter dated 06.08.2024 sent by UPPCB to the Vice Chairman, Agra Development Authority | 22-26 |

**THROUGH**

**DATE: 19.12.2024**
**PLACE: NEW DELHI**

**STHAVI ASTHANA**
**ADVOCATE FOR UPPCB**
**C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,**
**NEW DELHI-110021**
**(M): 9711116034**
**(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Original Application No. 1329 of 2024**

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt.- AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA NOTARIAL NOTARIAL

**IN THE MATTER OF:**

**Abdul Qadir** **......Applicant**

**Versus**

**State of U.P. & Ors.** **......Respondent(s)**

**RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-2, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Dr. Vishwanath Sharma aged about 49 years S/o Late Dr. Manoranjan Sharma presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (herein after referred to as "UPPCB"), Agra, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That in the official capacity mentioned above I am fully acquainted with the facts of the case and I am competent and authorised to swear the present Affidavit.

2. That the present O.A. relates to illegal running of footwear manufacturing factory called M/s Foot Fashion Overseas, in the residential colony of Azad Nagar, Khandari, District Agra, Uttar Pradesh.

S.No D/255/2024 19/11/24

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt.- AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

3. That a complaint regarding the aforementioned subject was received by the Regional Office of UPPCB, Agra on 01.06.2024 through IGRS reference no. 50014624000839. A complaint had been received regarding the same issue earlier as well.

4. That in pursuance to the complaint, the said unit was inspected by UPPCB on 17.01.2024 and 01.03.2024. As per the inspection report, at the time of inspection, Mr. Vishal Agarwal and landowner Mr. Kamal Ahmed were present at the complaint site as representatives of M/s Foot Fashion Overseas. The unit representative informed that the unit is being operated on rent at the said site for the last 08 years. At the time of inspection, shoe manufacturing work was found to be going on in the unit using 03 finishing machines, 01 cooling chamber, 01 heating chamber, 02 grinder machines and 02 compressor machines. During the inspections the representative of the unit did not provide any No-Objection / Consent Certificate issued by any department. Prima facie, the unit is being operated in a residential area. A true copy of the inspection report along with the photographs taken during the inspection is annexed hereto and marked as **Annexure 1.**

5. That the Regional Officer, UPPCB, Agra had written to the Vice Chairman, Agra Development Authority vide letter dated 11.03.2024 for appropriate action regarding the above complaint. A true copy of the letter dated 11.03.2024 sent by

S No D/255/2024
NOTARY
19/11/2024
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

UPPCB to the Vice Chairman, Agra Development Authority is annexed hereto and marked as **Annexure 2.**

6. That the Regional Officer, UPPCB, Agra wrote a letter dated 06.06.2024 to the District Magistrate, Agra for appropriate resolution of the complaint bearing IGRS reference no. 50014624000839. A true copy of the letter dated 06.06.2024 sent by Regional Officer, UPPCB, Agra to the District Magistrate, Agra is annexed hereto and marked as **Annexure 3.**

7. That the Divisional Commissioner, Agra had also written to the Vice Chairman, Agra Development Authority vide letter dated 17.05.2024 directing him to take necessary steps as per law regarding the complaints submitted by the Applicant herein. A true copy of the letter dated 17.05.2024 sent by Divisional Commissioner, Agra to the Vice Chairman, Agra Development Authority is annexed hereto and marked as **Annexure 4.**

8. That vide order dated 13.08.2003 the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Writ Petition No. 34957/2003 titled as '*Smt. Mithlesh Jain vs. State of Uttar Pradesh and others*' directed as follows:

SMOD/255/2024

NOTARY
19/12/2024
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

*"We therefore direct that no commercial or industrial activity will be allowed to be carried on in the area earmarked for residential purpose in the Master Plan of Agra or of in any other city in U.P. If commercial and industrial activities are being*

*carried on in any city in U.P. in the area earmarked for residential purposes in the Master Plan of that city such activity must immediately be stopped by the authorities.*

*Although this petition was only regarding Agra city we have decided to extend its scope suo moto to other cities in U.P. because we are informed that similar illegalities are being committed there too."*

A true copy of the order dated 13.08.2003 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Writ Petition No. 34957/2003 is annexed hereto and marked as **Annexure 5.**

9. That in compliance with the aforementioned order of the Hon'ble High Court, Government Order dated 05.09.2003 was issued by the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, for immediate ban on industrial / commercial activities being carried out in the residential land use. The Development Authorities / Regulated Areas and UP Housing Development Council have been directed to take necessary action as per rules for immediate ban on the land use being carried out against the land use / approved building map prescribed in the Master Plan / Zonal Development Plan / Sector Plan / Layout Plan of any area. A true copy of the Government Order dated 05.09.2003 is annexed hereto and marked as **Annexure 6.**

SNWD/255/2024

NOTARY
19/11/24
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt. - AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

10. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 18.04.2024 in M.A. No. 68/2023 in O.A. No. 386/2022 had directed as follows:

*"directions (i) to Agra Development Authority and UPPCB to take requisite remedial measures for ensuring that no such commercial activities take place in the residential area in violation of the directions issued by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble Allahabad High Court and this Tribunal and (ii) to Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. to ensure that electricity connection is provided only to the industries/unit having No Objections Certificate/Consent to Establish from UPPCB and the industry/unit located in the confirming zone as per the master plan of the concerned development authority."*

11. That complaints regarding the aforementioned unit were received again in the Regional Office of UPPCB on 26.07.2024 and 31.07.2024 through IGRS reference no. 12146240119131 and 50014624001352.

12. That the Regional Office of UPPCB, Agra again wrote to the Vice Chairman, Agra Development Authority vide letter dated 06.08.2024 for appropriate action against the said unit operating in residential area in view of the directions of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad as well as this Hon'ble Tribunal. A true copy of the letter dated 06.08.2024 sent by UPPCB to the Vice Chairman, Agra Development Authority is annexed hereto and marked as **Annexure 7.**

13. That the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

SNoD/255/2024

NOTARY
18/12/2024
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

**DEPONENT**

**VERIFICATION:**

Verified at AGRA on this 19day of December, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**

S. No. D/255/2024
Explained to Shri Dr. Vishwanath Sharma
Read by posted as Regional officer
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 19/12/2024
At Agra at 10-00 AM
Identified by

NOTARY
19/12/2024
Pawan Kumar
Sharma Advocate
Distt. AGRA
Regd No 2323/02
VALID-04/12/27
GOVT OF INDIA

**श्री कमाल अहमद पुत्र श्री इकबाल अहमद के द्वारा खसरा सं0–304/2 एवं 280/1 सरजेपुर गली नं0 4 के मोड़ के सामने आजाद नगर खन्दारी आगरा पर मै0 फुट फैशन नाम से संचालित जूता बनाने की इकाई के विरूद्ध अब्दुल कादिर व अदनान हुसैन पुत्र अफजाल हुसैन खसरा नं0–305 आजाद नगर, खन्दारी, आगरा द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः–**

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शिकायती पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 17.02.2024 व 21.02.2024 को प्राप्त है। जिसके माध्यम से शिकायतकर्ताओं द्वारा सन्दर्भित खसरा नं0 पर अवैध शू–फैक्ट्री (फुट फैशन) के विरूद्ध शिकायत की गयी है। उक्त के क्रम में कार्यालय के अद्योहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 01.03.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर मै0 फुट फैशन के प्रतिनिधि के रूप में श्री विशाल अग्रवाल व भू–स्वामी श्री कमाल अहमद उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर इकाई का संचालन विगत 08 वर्षो से किराये पर किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के मो0नं0 पर सम्पर्क किया गया परन्तु स्थल पर उपस्थित न हो सके। निरीक्षण के समय इकाई में शू–मैनूफैक्चरिंग का कार्य होता पाया गया। इकाई में तीन नग फिनिशिंग मशीन, एक नग कूलिंग चैम्बर, एक हीटिंग चैम्बर, दो नग ग्राइन्डर मशीन एवं दो नग कम्प्रेसर मशीन संचालित/स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा इकाई संचालन से सम्बन्धित किसी भी विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। शिकायती स्थल के आस–पास इस तरह की अन्य इकाईयॉ भी संचालित है। प्रथम दृष्टया इकाई का स्थापना स्थल रिहायशी प्रतीत होता है।

अवगत हो कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62 रिट/2003, दिनांक 05.09.2003 द्वारा जारी शासनादेश में आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियो पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

01/03/24
(सुनील कुमार)
अनु0 सहा0

1/3/24
(एस0डी0 सिंह)
वैज्ञा0 सहा0

सहा0 वैज्ञा0 अधि0/क्षेत्रीय अधिकारी

02/3/24
ASO

1/3/24

सेवा में,
मा० सक्षम अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
आगरा।

विषय : बिना प्रदूषण विभाग की अनूमति के संचालित अवैध फुट फैशन ओवरसीज शूज फैक्ट्री को सील करने के समबंध में

महोदय,

अवगत कराना है कि आजाद नगर खंदारी गलीं नं 5 के सामने खसरा नं 304/2 में बनी अवैध शू फैक्ट्री जिसका नाम (फुट फैशन) है जो कि बहुमंजिला इमारत लगभग 400 से 500 वर्ग गज में बनी हुई है जिसमें करीब 100 मजदूर कार्यरत है

श्रीमान जी यह अवैघ फैक्ट्री बिना प्रदूषण विभाग की अनूमति के आबादी क्षेत्र में चल रही है इस फैक्ट्री के द्वारा क्षेत्र में आय दिन चमड़ा व केमिकल जलाते है व आग जनी होती रहती है।

जिससे प्रदूषण की समस्या होती रहती है जिसके कारण बच्चें व बुर्जग, आय दिन  प्रदूषण की वजह से बीमारियों में सलिप्त हो रहे है

महोदय इस अवैघ फैक्ट्री से कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है मेरे द्वारा इनके संचालक को बार बार मना करने के बावजूद भी संचालान किया जा रहा है व चमड़ा व केमिकल इत्यादि जलाया जा रहा है

श्रीमान जी फैक्ट्री संचालक कमाल आदि इस क्षेत्र के दंबग व करोड़पति लोग है अतः आपसे अनुरोध है कि इस अवैध फैक्ट्री को सील करने की कृपा करें। ताकि लोगो को एक जिदंगी जीने का मौका मिले और क्षेत्र के सभी लोग स्वस्थ रहे व दीर्धआयु रहे

संगलन

1. अवैघ फैक्ट्री फुट फैशन का फोटो

प्रतिलिपि

मा. मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार
मा. मण्डलायुक्त महोदया  जी
मा. पुलिस आयुक्त महोदय जी

प्रार्थी
अदनान हुसैन पुत्र अफजाल हुसैन
खसरा नं 305, आजाद नगर खंदारी,
आगरा मो: 8791387521

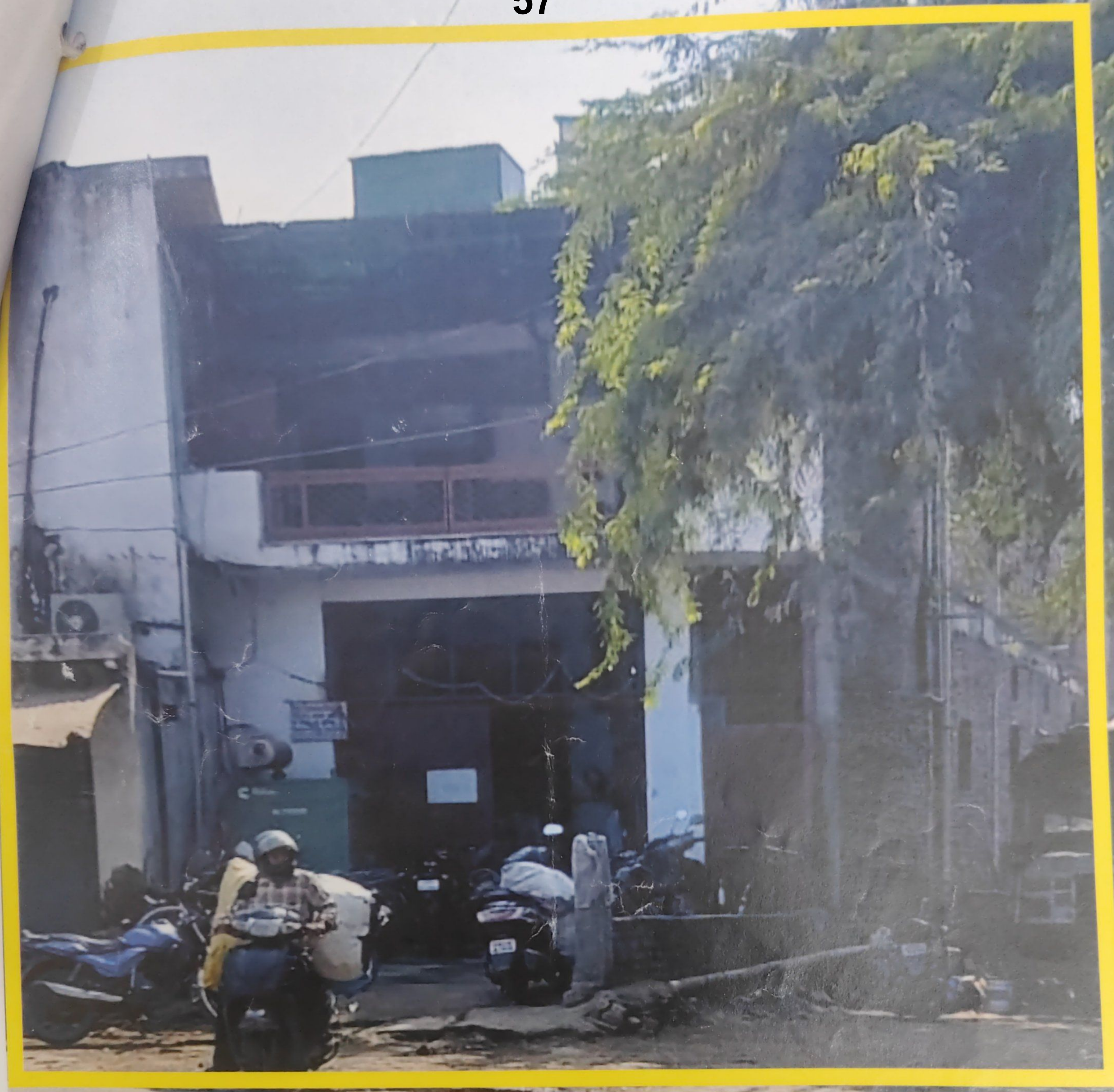

शा०२।२५



दि० 21/2/24

सेवा में,
श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय जी,
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा।

**विषय : मा.उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन के समबंध में**

महोदय,

अवगत कराना है कि दंबग भू–माफिया कमाल अहमद आदि द्वारा कब्जा कर खसरा नं 280/1 आर.बी. स्कूल के बराबर आजाद नगर खंदारी पर (फुट फैशन ओवरसीज) शूज फैक्ट्री जो लगभग 1000 से 1200 वर्गगज में बनी हुई है जिसमें लगभग 125 मजदूर कार्यरत है फैक्ट्री का संचालन आवासीय क्षेत्र में किया जा रहा है

अवगत कराना है रिट याचिका 34957/2003 श्रीमती मिथिलेश जैन (आगरा) बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में आदेश व सचिव उ.प्र. शासन द्वारा अपने दिनांक 5 सिमतम्बर 2003 में पत्रांक संख्या –सी.एस.–89/8–आ–3–2003–62 रिट 2003 के द्वारा आदेशित किया है

मा. उच्च न्यायालय द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एंव औधोगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतू निर्देशित किया गया है

उक्त संबध में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी अधिकारियों को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि वे महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एंव औधोगिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतू नियामानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

श्रीमान जी आपको अवगत कराना है कि इस फैक्ट्री द्वारा आय दिन चमड़ा व केमिकल जलाया जाता है जिससे आय दिन आग जनी होती रहती है व प्रदूषण की समस्या बनी रहती है जिसके कारण आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लोग बीमारियो में सलिप्त हो रहे है आपसे अनुरोध है कि इस अवैध फैक्ट्री को सील करने की कृपा करे
जिससे मा. उच्च न्यायालय व शासनादेशों का अनूपालन हो सके।

SA(D)
for n.a.
21/2/24

संगलन

1. मा. उच्च न्यायालय के आदेश 34957/2003
2. मा. सचिव उ.प्र. के आदेश दिनांक 5 सितम्बर 2003
3. अवैध फैक्ट्री का फोटो

प्रार्थी
अब्दुल कादिर पुत्र अफजाल हुसैन
305 आजाद नगर, खंदारी, आगरा
मो: 8126120916

59

Prop. Gulsher Hussain
TATA
HONDA
JAGUAR
SUZUKI
SN
CAR CARE
Audi
Mahindra
TOYOTA
HYUNDAI
REAL

Prop. Gulsher Hussain
Audi
Mahindra
R CARE
TOYOTA
HYUNDAI
REAL PRICE MEDICAL STORE
Address :- Jail Road, Azad Nagar, Khandari, Agra

Anx-2

email: roagra@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

## भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः –2276/ओजी–27/2024 दिनांकः– 11 /03/2024

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः–श्री कमाल अहमद पुत्र श्री इकबाल अहमद के द्वारा खसरा सं0–304/2 एवं 280/1 सरजेपुर गली नं0 4 के मोड़ के सामने आजाद नगर खन्दारी आगरा पर मै0 फुट फैशन नाम से संचालित जूता बनाने की इकाई के विरूद्ध अब्दुल कादिर व अदनान हुसैन पुत्र अफजाल हुसैन खसरा नं0–305 आजाद नगर, खन्दारी, आगरा द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता अब्दुल कादिर पुत्र अफजाल हुसैन निवासी–305, आजाद नगर, खन्दारी आगरा द्वारा श्री कमाल अहमद द्वारा खसरा सं0–304/2 एवं 280/1 सरजेपुर गली नं0 4 के सामने मै0 फुट फैशन नाम से संचालित जूता फैक्ट्री की शिकायत कार्यालय में दिनांक 17.02.2024 व 21.02.2024 को प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)। तत्क्रम में कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 01.03.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर मै0 फुट फैशन के प्रतिनिधि के रूप में श्री विशाल अग्रवाल व भू–स्वामी श्री कमाल अहमद उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर इकाई का संचालन विगत 08 वर्षो से किराये पर किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के मो0नं0 पर सम्पर्क किया गया, शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया कि वह आगरा से बाहर हैं। निरीक्षण के समय इकाई में शू–मैनूफैक्चरिंग का कार्य होता पाया गया। इकाई में तीन नग फिनिशिंग मशीन, एक नग कूलिंग चैम्बर, एक हीटिंग चैम्बर, दो नग ग्राइन्डर मशीन एवं दो नग कम्प्रेसर मशीन संचालित/स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा इकाई संचालन से सम्बन्धित किसी भी विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रथम दृष्टया इकाई का संचालन आवासीय क्षेत्र में किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62 रिट/2003, दिनांक 05.09.2003 द्वारा जारी शासनादेश में आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियो पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त के कम में अनुरोध है कि शिकायत के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–1. अब्दुल कादिर व अदनान हुसैन पुत्र अफजाल हुसैन खसरा नं0–305 आजाद नगर, खन्दारी, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

11/3/24
क्षेत्रीय अधिकारी

bylend x PGM
RO 17/02/24

सेवा में,
मा० सक्षम अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
आगरा ।

विषय : बिना प्रदूषण विभाग की अनूमति के संचालित अवैध फुट फैशन ओवरसीज शूज फैक्ट्री को सील करने के समबंध में

महोदय,

अवगत कराना है कि आजाद नगर खंदारी गलीं नं 5 के सामने खसरा नं 304/2 में बनी अवैध शू फैक्ट्री जिसका नाम (फुट फैशन) है जो कि बहुमंजिला इमारत लगभग 400 से 500 वर्ग गज में बनी हुई है जिसमें करीब 100 मजदूर कार्यरत है

श्रीमान जी यह अवैघ फैक्ट्री बिना प्रदूषण विभाग की अनूमति के आबादी क्षेत्र में चल रही है इस फैक्ट्री के द्वारा क्षेत्र में आय दिन चमड़ा व केमिकल जलाते है व आग जनी होती रहती है।

जिससे प्रदूषण की समस्या होती रहती है जिसके कारण बच्चें व बुर्जग, आय दिन प्रदूषण की वजह से बीमारियों में सलिप्त हो रहे है

महोदय इस अवैघ फैक्ट्री से कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है मेरे द्वारा इनके संचालक को बार बार मना करने के बावजूद भी संचालान किया जा रहा है व चमड़ा व केमिकल इत्यादि जलाया जा रहा है

श्रीमान जी फैक्ट्री संचालक कमाल आदि इस क्षेत्र के दंबग व करोड़पति लोग है अत: आपसे अनुरोध है कि इस अवैध फैक्ट्री को सील करने की कृपा करें । ताकि लोगो को एक जिदंगी जीने का मौका मिले और क्षेत्र के सभी लोग स्वस्थ रहे व दीर्धआयु रहे

संगलन

1. अवैघ फैक्ट्री फुट फैशन का फोटो

प्रतिलिपि

मा. मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार
मा. मण्डलायुक्त महोदया जी
मा. पुलिस आयुक्त महोदय जी

AEO/SA(SD)
कृ० जाँच कर आख्या प्रस्तुत करें।
SA(SD)
For a
20/2/24

Adnan Hussain
17/2/24
प्रार्थी
अदनान हुसैन पुत्र अफजाल हुसैन
खसरा नं 305, आजाद नगर खंदारी,
आगरा मो: 8791387521

2) 50014624000839 (आख्या) प्राप्त दिनांक- 31/05/2024

विभाग - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सन्दर्भ श्रेणी- भ्रष्टाचार / वित्तीय अनियमितता/कार्यो-विभागीय योजनाओं में लापरवाही/जांच

आवेदनकर्ता का विवरण - adnan,जिला - आगरा मोबाइल नंबर :8791387521 ,

आवेदन पत्र का विवरण - foot fashion awadh factory pr karwayi kr seel krne k samband main pdf file attach kr di gyi hai

आदेश देने वाले अधिकारी - जिलाधिकारी ( ) आदेश - आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें,

AEO/SA(SD)/HA(S)

क्षे० अधिकारी कर आख्या प्रस्तुत करें,

1/6/24

ANNEXURE 3

e-mail- roagra@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

**भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।**

पत्रांकः– 239 /ओजी–686/2024 दिनांकः–06 /06/2024

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
आगरा।

**सन्दर्भः–आईजीआरएस सन्दर्भ सं0–50014624000839.**

**विषय– श्री अदनान, निवासी–305, आजाद नगर, खन्दारी, आगरा द्वारा खसरा नं0–304/2, सरजेपुर, गली नं0–4 के मोड़ के सामने, मै0 फुट फैशन नाम से संचालित जूता बनाने की इकाई के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक शिकायती पत्र आईजीआरएस सन्दर्भ सं0–50014624000839 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 01.06.2024 को प्राप्त है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि पूर्व में भी उपरोक्त इकाई के विरूद्ध शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। उक्त के कम में कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 17.01.2024 व 01.03.2024 को शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय इकाई में 03 नग फिनिशिंग मशीन, 01 नग कूलिंग चैम्बर, 01 नग हीटिंग चैम्बर, 02 नग ग्राइण्डर मशीन एवं 02 नग कम्प्रेशर मशीन की सहायता से जूते बनाने का कार्य होता हुआ पाया गया था।

शिकायती प्रकरण के निस्तारण हेतु कार्यालय के पत्रांक–2276/ओजी–27/2024 दिनांक 11.03.2024 द्वारा उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के कम में अनुरोध है कि आईजीआरएस सन्दर्भ सं0--50014624000839 को कार्यालय स्तर से निक्षेपित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. अपर आयुक्त (प्रशासन), आगरा मण्डल, आगरा को आईजीआरएस सन्दर्भ सं0–50014624000839 कम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष महोदया, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक–2276/ओजी–27/2024 दिनांक 11.03.2024 के कम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. श्री अदनान, निवासी–305, आजाद नगर, खन्दारी, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Anx-4

# कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या–1196/जन–सुनवाई सहायक/2024 दिनांक: मई 17, 2024

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 988/जनसुनवाई सहायक/2024, दिनाक 23.04.2024, संदर्भ संख्या–50014624000689 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत संलग्न प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कृत कार्यवाही की सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

**शिकायतकर्ता द्वारा आज दिनांक 15.05.2024 पुनः उपस्थित होकर अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत फैक्ट्री को अभी तक बन्द नहीं कराया गया है। उक्त फैक्ट्री के प्रदूषण से गम्भीर बीमारियाँ उत्पंन्न हो रही हैं साथ ही अप्रिय घटना होने की भी पूर्ण सम्भावना है।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कृत की सुस्पष्ट आख्या 10 दिन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(रितु माहेश्वरी)
आयुक्त
आगरा मण्डल, आगरा।

Anx-05

(27)

Court no. 29

Civil Misc. Writ Petition No. 34957 of 2003
Smt. Mithlesh Jain vs. State of U.P. and others.

Hon'ble M. Katju, J.
Hon'ble R.S. Tripathi, J.

Standing Counsel and Sri Pankaj Mittal may file counter affidavit within three weeks.

Issue notice to respondent no. 4 returnable at an early date.

The point raised in this writ petition is of great importance throughout the State of U.P. and perhaps in many other States as well. The grievance of the petitioner is that commercial activities are being permitted in the residential area of Agra.

We have had occasion to deal with such kinds of complaints in earlier petitions which came up before us. For example in R.K. Mittal vs. State of U.P. and others 2002 (1) UPLBEC 444 we have held that no commercial and industrial activity can be carried out in the areas earmarked for residential purpose in the NOIDA Master Plan. We are informed that in a large number of cities e.g. Lucknow, Agra, Kanpur etc. commercial and industrial activities are being carried on in the areas earmarked for residential purposes in the Master Plan of that city. In our opinion this is wholly illegal. The rules have to be followed, otherwise the rule of law will collapse in the country. If there are rules they must be obeyed, otherwise the rule should be scrapped. We have held in R.K. Mittal vs. State of U.P. (Supra) that there is a widespread malady which has infected our society, namely, that the people who are having money and power think that they are above the law. This notion is totally destructive of the Rule of the Law and can no longer be tolerated by this Court. Everyone is under the Law.

In the present petition it has been stated in paragraphs 5 and 6 that in the residential area a shopping complex is being constructed and other commercial activities are proposed. In our opinion this is clearly illegal. We, therefore, direct that no commercial or industrial activity will be allowed to be carried on in the area earmarked for residential purpose in the Master Plan of Agra or of in any other city in U.P. If commercial

and industrial activities are being carried on in any city in U.P. in the areas earmarked for residential purposes in the Master Plan of that city such activity must immediately be stopped by the authorities.

Although this petition was only regarding Agra city we have decided to extend its scope suo motu to other cities in U.P. because we are informed that similar illegalities are being committed there too.

Let a copy of this order be sent by the Registrar General of this Court to the Chief Secretary, U.P. forthwith who will ensure compliance of this order. Learned Standing Counsel shall also send a copy of this order to the Chief Secretary, U.P.

Let a copy of this order be given to the learned Standing Counsel today free of charges. Sd/- M. Katju

Aks/ Dt: 13.8.2003 Sd/- R.S. Tripathi

TRUE COPY

Copying Section
High Court, Allahabad

13/8/03

Anx-06

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(29)

**शीर्षप्राथमिकता / कोर्ट केस अनुपालन**

संख्या–सी.एस.–89(1) / 9–आ–3–2003–62रिट / 2003

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3–नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉकः 10 नवम्बर, 2003

विषयः महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में रिट याचिका संख्या–34957 / 2003 श्रीमती मिथिलेश जैन ( आगरा ) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनॉक 13.8.2003 को दिए गये निर्णय मे मा0 न्यायालय द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु आदेश दिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शासनादेश संख्या–सी.एस.–89 / 9–आ–3–2003– 65रिट / 2003 दिनॉक 5 सितम्बर, 2003 प्रख्यापित किया गया है।

2– मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विकास प्राधिकरणों / विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि वे किसी क्षेत्र की महायोजना / जोनल डेवलपमेंट प्लान / सेक्टर प्लान / ले–आउट प्लान मे निर्धारित भू उपयोग / स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा नियम विरुद्ध उपयोग / निर्माण कार्य को उसके प्रारम्भिक चरण मे ही तत्काल रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजित रूप से विकसित कालोनियों व भवन के अवैध उपयोग के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–2444 / 9–आ–3–2001, दिनांक 15 मई, 2001 तथा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण व अवैध निर्माण के विरुद्ध समयबद्ध व प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश संख्या– 2932 / 9–आ–1–2003, दिनांक 04–4–2003 द्वारा आवास एवं

क्रमशः 2 /

\\Avas3\venod-1(nishant)(374)

विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शासनादेश दिनांक 04-4-2003 में महायोजना / ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत किये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है। कृपया उक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्तानुसार कार्यवाहीकरने हेतु सभी प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र, अपने क्षेत्र को विभिन्न जोन्स में बांटकर, प्रत्येक जोन्स हेतु एक स्पेशल गठित ( सेल ) का गठन करेंगे जिनके द्वारा प्रभावी निगरानी / निरीक्षण कर प्रत्येक माह में अपनी रिपोर्ट सम्बंधित प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

5- उक्त कार्यवाही में सम्बंधित जोन की स्पेशल इकाई के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों का पूर्ण उत्तारदायित्व होगा तथा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता का समस्त उत्तरदायित्व उक्त इकाई के प्रभारी अधिकारी का होगा।

6- मा0 न्यायालय के आदेश के नियमानुसार प्रभावी अनुपालन हेतु सभी विकास प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एक समयबद्ध अभियान चलाकर, उक्त अभियान की कार्यवाही की आख्या सम्बंधित अभिकरण के प्रभारी अधिकारी को सौंपेगे तथा समेकित अनुपालन आख्या शासन को प्रत्येक तीन माह में प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( अखण्ड प्रताप सिंह )
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनॉक तदैव।</u>

1- श्री ओ0एन0 खण्डेलवाल, एच0जे0एस0 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-पी0एस0(आर0जी0) / 140 / 2003 दिनॉक 14.8. 2003 के संदर्भ में शासनादेश दिनॉक 5 सितम्बर, 2003 की प्रति के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- अधिशासी निदेशक आवास बन्धु उत्तर प्रदेश

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( जे.एस.मिश्र )
सचिव।

(28)

शीर्षप्राथमिकता / कोर्ट केस अनुपालन
संख्या–सी.एस.–89 / 9–आ–3–2003–62रिट / 2003

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3–नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँकः 5 सितम्बर, 2003

विषयः महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में रिट याचिका संख्या–34957 / 2003 श्रीमती मिथिलेश जैन ( आगरा ) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनाँक 13.8.2003 को दिए गये निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– उक्त सम्बंध में मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी अभिकरणों को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि वे महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त सम्बंध में सभी अभिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभावपूर्ण ढंग से उपर्युक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु तीन माह का एक समयबद्ध सघन अभियान चलायेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
( जे.एस.मिश्र )
सचिव।

Anx-7

email: roagra@uppcb.in

# क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांकः –437............/ओजी-686/2024 दिनांकः–06/08/2024

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सन्दर्भ सं0–आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0–12146240119131 एवं 50014624001352,

विषयः–श्री कमाल अहमद पुत्र श्री इकबाल अहमद के द्वारा खसरा सं0–304/2 एवं 280/1 सरजेपुर गली नं0 4 के मोड़ के सामने आजाद नगर खन्दारी आगरा पर मै0 फुट फैशन नाम से संचालित जूता बनाने की इकाई के विरूद्ध अब्दुल कादिर व श्री अदनान हुसैन पुत्र अफजाल हुसैन खसरा नं0–305 आजाद नगर, खन्दारी, आगरा द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक 2276/ओजी–27/2024 दिनांक 11.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त शिकायती पत्र आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0 12146240119131 एवं 50014624001352 के माध्यम से पुनः इस कार्यालय में दिनांक 26.07.2024 व 31.07.2024 को प्राप्त है। अवगत कराना है कि उपरोक्त शिकायती स्थल का निरीक्षण पूर्व में कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 01.03.2024 को किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय शिकायती स्थल पर मै0 फुट फैशन के प्रतिनिधि के रूप में श्री विशाल अग्रवाल व भू–स्वामी श्री कमाल अहमद उपस्थित थे। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर इकाई का संचालन विगत 08 वर्षो से किराये पर किया जा रहा है। निरीक्षण के समय इकाई में शू–मैनूफैक्चरिंग का कार्य होता पाया गया। इकाई में तीन नग फिनिशिंग मशीन, एक नग कूलिंग चैम्बर, एक हीटिंग चैम्बर, दो नग ग्राइन्डर मशीन एवं दो नग कम्प्रेसर मशीन संचालित/स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा इकाई संचालन से सम्बन्धित किसी भी विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रथम दृष्टया इकाई का संचालन आवासीय क्षेत्र में किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित दिनांक 13.08.2003 तथा उक्त के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62 रिट/2003, दिनांक 05.09.2003 द्वारा जारी शासनादेश में आवासीय भू–उपयोग में चल रही औद्योगिक/व्यवसायिक गतिविधियो पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं उ0प्र0 आवास विकास परिषद को इस आशय से निर्देशित किया गया है कि किसी क्षेत्र की महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग/स्वीकृत भवन मानचित्र के विरूद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

कृ0प0उ0

-2-

अग्रेतर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–386 / 2022, (अजय तिवारी बनाम यू0पी0 स्टेट व अन्य) जो आगरा से सम्बन्धित है में दिनांक 18.04.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:– (i) To Agra Development Authority and UPPCB to take requisite remedial measures for ensuring that no such commercial activities take place in the residential area in violation of the directions issued by Hon'ble Supreme Court, Hon'ble Allahabad High Court and this Tribunal and (ii) To Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. to ensure that electricity connection is provided only to the industries/unit having No Objections Certificate/Consent to Establish from UPPCB and the industry/unit located in the confirming zone as per the master plan of the concerned development authority.

उपरोक्त के कम में अनुरोध है कि आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाई के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:–1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0 12146240119131 एवं 50014624001352 के कम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2. महाप्रबन्धक, मै0 टोरेन्ट पावर लि0, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.1997 के अलोक में एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुकम में उक्त इकाई का विद्युत विच्छेदन कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

6/8/24
क्षेत्रीय अधिकारी

O/c
M.A

म0उ0लायुक्त संदर्भ
31.07.2024

1) 50014624001352 (आख्या) प्राप्त दिनांक- 30/07/2024

विभाग - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सन्दर्भ श्रेणी- भ्रष्टाचार / वित्तीय अनियमितता/कार्यों-विभागीय योजनाओं में लापरवाही/जांच

आवेदनकर्ता का विवरण - adnan hussain ,जिला - आगरा मोबाइल नंबर :879138752 1 ,

आवेदन पत्र का विवरण - awadh foot fashion factory k bijli connection ko katwane wa awadh factory ko seel krne k samband main pdf file attach kr di gyi hai awadh foot fashion factory k bijli connection ko katwane wa awadh factory ko seel krne k samband main pdf file attach kr di gyi hai

आदेश देने वाले अधिकारी - जिलाधिकारी ( ) आदेश - आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें,

SA(SD)
for n.a.
31/7/24
AEO

AEO/SA(SD)
31/7/24

मुख्यमंत्री सन्दर्भ → 26/07/2024

1) 12146240119131 (अंतरित ) प्राप्त दिनांक- 25/07/2024

विभाग - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सन्दर्भ श्रेणी- भ्रष्टाचार / वित्तीय अनियमितता/कार्यों-विभागीय योजनाओं में लापरवाही/जांच

आवेदनकर्ता का विवरण - अब्दुल कादिर , निवासी 23/8 वजीर पुरा आगरा मोबाइल नंबर :8126120916 , 0

आवेदन पत्र का विवरण - अवैध फैक्ट्री को सील करवाने के संबंध मे।

आदेश देने वाले अधिकारी - जिलाधिकारी ( ) आदेश - आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें.

AEO/SA (CD)

27/7/24

सेवा में,

मा. आयुक्त महोदया जी

आगरा मण्डल, आगरा

12 वां प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत
आगरा विकास प्राधिकरण आगरा
को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही
की आख्या 10 दिन में उपलब्ध कराने
का कष्ट करें।

अपर आयुक्त (प्रशासन)
आगरा मण्डल, आगरा

संख्या 1255 जन सुनवाई
दिनांक 10/6/2024

विषय :-उ.प्र. नगर योजना विकास अधिनियम की 1973 धारा 28 क(1) में अवैध फैक्ट्री को सील से पूर्व नोटिस देने के बाद भी अवैध फैक्ट्री को सील न करने के सम्बंध में

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा भू-माफिया कमाल अहमद आदि के द्वारा प्रार्थी की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जा कर व आवासीय क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये व बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व बिना अग्निशमन विभाग की अनुमति के निर्मित की गयी फैक्ट्री (फुट फैशन ओवरसीज) खसरा नं 304/2 गली नं 5 के सामने आजाद नगर खंदारी, आगरा जो कि लगभग 400 से 500 वर्गगज में है जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ है जो कि दिनांक 28.11.2023 से लगातार सील कर ध्वस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की जा रही है आज दिनांक तक लगभग 12 प्राथर्ना पत्र दे चुका हूँ।

प्रभारी प्रर्वतन आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.12.2023 से 1973 की धारा 27 में वाद योजित किया गया था। जिसमें मई माह 2024 में प्रशनगत निमार्ण के विरुध उ.प्र. नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क(1) के अन्तर्गत सील से पूर्व कारण बताओ नोटिस विपक्षी को दिया जा चुका है

लेकिन महोदया विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा आज दिनांक तक स्थल को सील करने की कार्यवाही नहीं की गयी है

अतः आपसे अनुरोध है कि मा. उच्च न्यायालय व मुख्यसचिव जी के आदेशों का पालन कराते हुए तत्काल प्रभाव से अवैध फैक्ट्री को सील करवाने की कृपा करें।

संग्लग्न
1. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.3.2024
2. मा. उच्च न्यायालय के आदेश व शासनादेश सी-एस.-39 / 9-आ-3-2003 पिट / 2003
3. शासनादेश 14 दिसम्बर 2012
4. शिकायती प्रार्थना पत्र एंव उनकी जांचे
5. मण्डलायुक्त महोदया जी के आदेश

(हस्ताक्षर) 10-6-24

प्रार्थी
अब्दुल कादिर पुत्र अफजाल हुसैन
23/8 वजीर पुरा, आगरा
मो : 8126120916